

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/उप निदेशक (बफर जोन), दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी।
पत्रांक- /15-1 : दिनांक: लखीमपुर-खीरी: मई: 13/2022

सेवा में,

सहायक प्रबन्धक,
(रिटेल सेल्स), शाहजहाँपुर-I,
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि 82 प्रेमनगर, बरेली।

विषय:-

उत्तर खीरी वन प्रभाग/बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि 0 द्वारा पलिया-त्रिकौलिया-खजुरिया मार्ग (एस0एच0-101) किमी0 नं0-117 चैनैज संख्या-117.800 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-193 स्थित ग्राम पैड़िया, थाना सम्पूर्णनगर, तहसील पलिया, जिला खीरी में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.04674 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-PF/UP/ Others/49746/2020 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ की पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/24/2022/एफ.सी./81 दिनांक 10.05.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृत की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृत के बिन्दु संख्या- 02 व 04 के क्रम में निम्न प्रकार धनराशि कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, उ0प्र0 लखनऊ से खाते की पुष्टि करके जमा कराने का कष्ट करें तथा जमा की चालान/रसीद की प्रमाणित 04 प्रतियाँ एवं सैद्धान्तिक स्वीकृत में दी गयी समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि-	3,53,000.00 / -
2. दिनांक 06.01.2022 से पुर्नरीक्षित एन0पी0वी0 की धनराशि-	31,322.34 / -
कुल योग-	3,84,322.34 / -

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुन्दरेश)

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक, बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व,
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक-4259/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी।
3. श्री सुखविन्दर सिंह चौमा पुत्र श्री मूला सिंह, ग्राम पैड़िया फार्म कमलापुरी (भानपुरी), थाना सम्पूर्णनगर, जिला खीरी।

(सुन्दरेश)

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक, बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व,
लखीमपुर-खीरी।

प्रमाण पत्र शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की गणना

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पत्र संख्या F.No. 5-3/2007-FC दिनांक 05-02-2009 में दिये गये प्रावधानानुसार उत्तर खीरी वन प्रभाग (बकर जोन) के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा पलिया-त्रिकौलिया-खजुरिया मार्ग (एस०एच०-101) किमी० नं०-117, चैनेज संख्या-117.800 के मध्य दांवी पटरी पर गाटा संख्या-193 स्थित ग्राम पैड़िया, थाना सम्पूर्णनगर, तहसील पलिया, जिला खीरी स्थित प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु प्रभावित 0.04674 हे० संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष NPV (Net Present Value) निम्न प्रकार थी :-

प्रस्ताव में संलग्न एन०पी०वी० की गणना

वन का प्रकार	क्षेत्रफल (हे०मी)	ईको क्लास	घनत्व	दर प्रति हे० (रु०मी)	घनराशि (रु० मी)
1	2	3	4	5	6
संरक्षित वन भूमि	0.04674	IV	-	4,38,000	20472.12

परन्तु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्र, अलीमज, जोरबाम रोड, नई दिल्ली की पत्र संख्या F.No. 5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 06-01-2022 द्वारा एन०पी०वी० की घनराशि पुनरीक्षित हो जाने के फलस्वरूप निम्नवत् है:-

नई दर दिनांक 06.01.2022 से पुनरीक्षित एन०पी०वी० की घनराशि

वन का प्रकार	क्षेत्रफल (हे०मी)	ईको क्लास	घनत्व	दर प्रति हे० (रु०मी)	घनराशि (रु० मी)
1	2	3	4	5	6
संरक्षित वन भूमि	0.04674	IV	-	6,70,140	31322.34

नोट- बावजूद किमत द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया है कि यदि वर्तमान की नेट प्रजेंट वैल्यू (एनपीवी) में कोई भी बढ़ोतरी होती तो उसके अन्तर का मुआना किया जायेगा।

(मुद्रांक)

प्रभावीय वनधिकारी उत्तर खीरी वन प्रभाग /
वन निदेशक (बकर जोन) पृथ्वी सम्पूर्णनगर सिविल
अलीमज-खीरी ।